फ८ अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

वादी–नरेन्द्र सिंह व अन्य

प्रतिवादी–यशवंत सिंह व अन्य

केस संख्या : 236/2014 **वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादी उप0। पैरोकार राज0 उप0।

पूर्व में दिनांक 27.04.2018 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया जिस पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति प्रकट की, न्यायहित में वादी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वकील वादी को संशोधित वाद प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया जिस पर वकील वादी ने संशोधित वाद प्रस्तुत किया। वादी व प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत किया।

दिनांक 07.06.2018 को कैम्प कोर्ट दौसरा में वकील वादीगण ने निवेदन किया कि खतौनी सं. 28 के खसरा नंबर 37/4 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, खतौनी संख्या 86 के खसरा नंबर 637 रकबा 10 बिस्वा एवं खतौनी संख्या 88 के खसरा नंबर 615 लगायत 636, 638, 639, 640 व 734 लगायत 744 कुल किता 36 कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ मण्डालिया, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है। खतौनी सं. 28 में प्रतिवादी सं. 3 के दर्ज हिस्सा 1/2 में से वादी सं. 1 का 1/36 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्यां 8 का 1/12 हिस्सा व खतौनी संख्या 86 व 88 में प्रतिवादी संख्या 3 के दर्ज हिस्सा 1/4 में से वादी संख्या 1 का 1/72 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/72 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/72 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। आराजीयात प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी आराजीयात को खुर्द बुर्द, बेचान करने पर आमादा है, न्यायहित में वादी स्वीकार फरमाया जाकर वाद में वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी व प्रतिवादी ने राजीनामा में मुख्यतः यह कथन किये है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं स्व. बहादुर सिंह के वंश के है इसलिये उपरोक्त प्रतिवादी सं. 3 के हिस्से को बराबर–बराबर बांटने में हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामानुसार वादी वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी राजीनामा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बा अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात में प्रतिवादी संख्या का हक हिस्सा निहित है।

चूंकि प्रतिवादी ने राजीनामा के माध्यम से वादीगण वा स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट व है न्यायहित में वादीगण वाद स्वीकार कर डिक्री किया जान उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्र किया जाकर खतौनी सं. 28 के खसरा नंबर 37/4 रकबा बीघा 15 बिस्वा, खतौनी संख्या 86 के खसरा नंबर 637 रक 10 बिस्वा एवं खतौनी संख्या 88 के खसरा नंबर 615 लगाय 636, 638, 639, 640 व 734 लगायत 744 कुल किता 36 कु रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ मण्डालिय तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में खतौनी सं. 2 में प्रतिवादी सं. 3 के दर्ज हिस्सा 1/2 में से वादी सं. 1 व 1/36 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/36 हिस्सा, प्रतिवा संख्या 1 को 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/1 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 को 1/12 हिस्स प्रतिवादी संख्यां 8 को 1/12 हिस्सा व खतौनी संख्या 86 ए 88 में प्रतिवादी संख्या 3 के दर्ज हिस्सा 1/4 में से वा संख्या 1 को 1/72 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/72 हिस्स प्रतिवादी संख्या 1 को 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/24 हिस्सा, प्रतिवा संख्या 6 को 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 को 1/24 हिस्सा का खातेद काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी व निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वह करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लो अदालत कैम्प कोर्ट दौसरा में सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner